# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–497/2012

1. कैलाश चन्द पुत्र पूरणमल

2. रामनिवास पुत्र पूरणमल

समस्त जाति स्वामी, निवासी ढाणी सेवरयान, ग्राम तेवडी, तहसील विराटनगर, हाल निवासी 110, इन्द्रगिरी आश्रम, सुजानगढ जिला चुरू। अपीलान्ट्स

बनाम

1. भंवरा पुत्र किशना

1/1. श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री भॅवरा पत्नि रामजीवण निवासी–गंगापोल बाहर, हनुमान जी की बगीची, जयपुर

1/2. रामजी लाल पुत्र भॅवर स्वामी निवासी–ग्राम मैड, तहसील विराट नगर जिला जयपुर

1/3. छोटा देवी पुत्री भंवरा पत्नि सीता राम निवासी–मु0 पो0 हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

1/4. तारा देवी पुत्री भॅवरा पत्नि श्री गणेश शर्मा निवासी–मु0 पो0 धाट लेकडी तहसील बानसूर जिला अलवर।

1/5. मनभरी देवी पुत्री भंवरा पत्नि रामप्रताप निवासी–मु0 पो0 घाट लेकडी तहसील बानूसर जिला अलवर

1/6. संतोष देवी पुत्री भॅवरा पत्नि राकेश शर्मा निवासी–भगवानपुरा जिला रेवाडी हरियाणा।

1/7. मूली देवी पुत्री भॅवरा पत्नि सतीश शर्मा निवासी–मु0 पो0 भैरूपुरा मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

1/8. रामकरण पुत्र भॅवरा जाति स्वमी निवासी–ग्राम मैड, तहसील विराटनगर जिला अलवर

1/9 कमलेश पुत्र भॅवरा जाति स्वामी निवासी–ग्राम मेड तहसील विराटनगर जिला जयपुर

1/10. शारदा देवी पुत्री भॅवरा पत्नि रामनिवास निवासी–मु0 पो0 हाजीपुर तहसील बानसूर जिला जयपुर

1/11. बीना देवी पुत्री भॅवरा पत्नि महेन्द्र कुमार निवासी–मु0 पो0 भैरूपुरा मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर

2. फूला पुत्र किशना

3. रामावतार पुत्र सेडू

4. पूरणमल पुत्र सेडू

5. महेशचन्द पुत्र सेडू समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम मैड,

6. मुरारीलाल पुत्र सेडू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

7. कैलाश पुत्र बिहारीदास

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

8. मालीराम पुत्र हनुमानसहाय

9. सरती पुत्री हनुमानसहाय

—कन्टेस्टेड रेस्पोडेंट्स—

10. श्रीमती देवकी देवी पत्नी अरविन्द कुमार जाति स्वामी व्यस्कान ढाणी सेवरयान, ग्राम तेवडी, विराटनगर, हाल आबाद ग्राम मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

11. पूरणमल पुत्र मांगीलाल जाति स्वामी, निवासी ढाणी सेवरयान, ग्राम तेवडी, विराटनगर, हाल आबाद ग्राम मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

13. तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

14. पटवारी हल्का मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

15. संगीता देवी पत्नी अर्जुनलाल कुमावत निवासी ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

16. सुमन देवी पत्नी रामस्वरूप कुमावत निवासी ग्राम भावणी वाया आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

17. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राधेश्याम

18. श्रीमती देवकी पत्नी कैलाशचन्द

19 श्रीमती सरोज देवी पत्नी घनश्याम

20. श्रीमती माया देवी पत्नी शम्भूदयाल

21. शंकर पुत्र बिहारीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स——

उपस्थित अधिवक्तागणः—

1—श्री भगवान सहाय शर्मा अपीलांटस की ओर से।

2—श्री संग्राम सिंह नाथावत रेस्पो0 सख्या 10 की ओर से।

3— श्री विनोद कुमार शर्मा तरतीबी रेस्पोडेंटस की ओर से।

:— निर्णय :— दिनांक :—08/03/2018

1—यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10—10—2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर वाद सख्या 88/2011 उनवानी कैलाशचन्द बनाम अरविन्द कुमार वगै0 के प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 3095 रकबा 12.80 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कन्टेस्टेड रेस्पोडेन्ट ने एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेघाज्ञा पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण एवं

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

प्रतिवादी सख्या 01 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिसका पक्षकारान में बंटवारा नहीं हुआ है, उक्त भूमि बाबत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 01 व 02 के मध्य एक वाद उनवानी कैलाशचन्द बनाम अरविन्द वगैरह मुकदमा सख्या 66/11 घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन हैं उक्त विवाद को देखते हुए संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है, अतः भूमि का कानूनी बंटवारा कराया जाना आवश्यक है।बाद तलबी अपीलान्टस/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि विक्रेता खातेदार से प्रतिवादी सख्या 2 व 3 एवं अरविन्द कुमार ने तीनों भाईयों की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आय से तीनों भाईयों द्वारा खरीदशुदा भूमि है जिसकी अरविन्द कुमार द्वारा साजपूर्वक अपनी पत्नि के नाम से रजिस्ट्री करा ली गई जबकि उक्त खरीदशुदा भूमि 253/1280 पर तीनों भाई बराबर–बराबर शामिल से काबिज काश्त हैं।प्रतिवादी सख्या 2 व 3 को अधिकार है कि भूमि मुतदाविलया में प्रतिवादीगण हिस्सा 253/1280 का 2/3 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 4 एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के प्रतिवादी सख्या 02 व 03 अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–10–2012 को पारित किये गये जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।न्यायालय द्वारा जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम नहीं कर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।अधिनस्थ न्याालय के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र से बखूबी स्पष्ट था कि अपीलान्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित एक अन्य वाद बाबत घोषणा एवं निषेघाज्ञा विचाराधीन है, उक्त स्वीकृत तथ्य के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना निर्णय पारित किया गया हैं। कानूनन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद सख्या 66/2011 उनवानी कैलाश बनाम अरविन्द वगैराह के साथ हमफिता कर अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिऐ थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में एक तरफ यह कथन अंकित किये है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के बीच दुरभि संधी होना परिलक्षित होता है दूसरी तरफ वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया गया हैं न्यायालय द्वारा समस्त सह–काश्तकारान के हिस्से की भूमि का विभाजन नहीं किया गया है। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है तथा न ही रिपोर्ट से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया गया हैं। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–10–2012 को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

5– अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा अन्य वाद सख्या 66/2011 के खारिज होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है के आधार पर वाद डिक्री कर दिया गया जो कि निरस्त योग्य हैं। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस में कथन किया गया कि खाता विभजन का वाद मात्र खातेदारों के मध्य प्रस्तुत किया जाता है परन्तु प्रकरण में अपीलान्टस को दुरभि संधि से पक्षकारान बनाया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति से तैयार की गई हैं तथा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बलनिहित नही हैं तथा वह खारिज किये जाने योग्य है।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायतय 09 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 10,11 व 21 एवं अपीलान्टस के विरूद्ध दावा बाबत बंटवारा व घोषणा का प्रस्तुत किया गया हैं। वादीगण द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 3095 रकबा 12.80 हैकटेयर वाके ग्राम मैड वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 01 श्रीमति देवकी देवी पत्नि अरविन्द कुमार की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं। वादीगया द्वारा यह कथन करते हुए कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद उनवानी कैलाशचन्द्र बनाम अरविन्द वगैराह मु0नं0 66/2011 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन हैं जिसमें प्रतिवादी सख्या 01 भी पक्षकार है। उक्त विवाद को देखते हुए वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त किया जाना संभव नहीं है तथा भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिसमें प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 4 अपीलान्टस एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट सख्या 11 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। फिर भी इन्हें वाद में पक्षकारान बनाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 1 व 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया गया है तथा भूमि को मौके पर विभाजित किया होने का कथन कर बंटवारा किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं होने का कथन जवाब दावे में किया गया हैं।प्रकरण में दिनांक 08–11–2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा उसके उपरान्त दिनांक 12–6–2012 को प्रतिवादी सख्या 2 व 3 अपीलान्टस की तरफ से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया हैं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध इनके द्वारा कोई अपील नहीं की गई हैं। काउण्टर क्लेम में यह अंकित करते हुए कि भूमि के संबंध में अन्य वाद सख्या 66/2011 विचाराधीन है तथा भूमि में घोषणा का अनुतोष इनके द्वारा चाहा गया है। वादीगण द्वारा जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया गया है तथा उसमें अंकित किया गया है कि प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के द्वारा सिर्फ प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

जिससे प्रस्तुत विभाजन के वाद पर कोई असर नहीं पडता है प्रकरण में दिनांक 11/06/2012 को कुर्रेजात प्रस्ताव जो दिनांक 6–6–2012 कों तैयार किये गये है तहसीलदार द्वारा प्रेषित किया गया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 10–10–2012 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दावा, जवाब दावा,प्रतिदावा,जवाबुलजवाब पर विस्तार से विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि वादग्रस्त भूमि से सबंधित पूर्व में विचाराधीन दावा सख्या 66/2011 खारिज किया जा चुका है तथा इसके आधार पर अपीलान्टस को वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं माना गया है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण एवं रिकॉर्डेड खातेदारान की सहमति से तैयार की गई है तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्षकारान को आपत्ति नहीं है इसलिये दावा डिक्री किया जाना उचित समझा गया है। अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है तथा वे विभाजन के वाद में कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादगस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया घोषणा का वाद सख्या 66/2011 खारिज हो जाने से दावा डिक्री किये जाने के समय वादग्रस्त भूमि विवादरहित संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है जिसका विभाजन खातेदारान के मध्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अपीलाधीन डिक्री के माध्यम से किया गया है। रिकॉर्डेड खातेदार के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्टस का वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं होने से वे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी प्रकार से व्यथित व पीडित नही है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक सार निहित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाने योग्य हैं तथा अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दि. 10–10–2012 यथावत रखे जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 08–03–2018 को सुनाया गया।

**राजस्व अपील प्राधिकारी**

**जयपुर**